

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

शा.पं.ज

शान्ति के वर ५/१ काल

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

२०१३/१६१

पेशी

श्री. हसन खान अन्व.

श्री. विक्रम पाराशर - ०१

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
जारी हुए

१५.१०.२५

पत्रावली पेश की गई। अधिमापक उभयपक्ष उप। अधिमापक
अपीलांत देखो स. २ से ॥ कि नोमीन आवश्यक रूप
से पेश करें। पत्रावली वान्ते तल्लि नोमीन देखो
स. २ से ॥ (आपश्चक रूप से) दिनांक ३/१२/२५ को
पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

०९/१२/२५

पत्रावली पेश की गई व कुलाम उपल पत्रावली
वाल्ते तल्लि नोमीन देखो से २ से ॥ (आपश्चक
रूप से) दिनांक ०९/१२/२५ को पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

०९/१२/२५

पत्रावली पेश की गई व कुलाम उपल पत्रावली
वाल्ते तल्लि नोमीन देखो से २ से ॥ (आपश्चक
रूप से) दिनांक ०९/१२/२५ को पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

७/११/२६

पत्रावली पेश की गई। वहील अपीलान्त एवं अपीलान्त
अनुपपिन्य। अधिमापक प्रार्थी / अपीलान्त एवं प्रार्थी / अपीलान्त
को कर का कट-कट कर आवाने तल्लि नोमीन
के लिये उपस्थित नहीं हुए। मगर प्रार्थना पत्र अपीलान्त
के लिये प्रार्थी से खारिन किया जाता है शा.पं.ज
के सल्लुपा. के लिये नम्बर से रूप हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



520
श्री हनुमन्त एड.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

ने प्रा.पत्र 0.41/27/2023 प्रार्थना पत्र/टी.ए./ 161 / 2023 / जिला अजमेर

प्रा.पत्र 0.41/27/2023 अपील/टी.ए./ 36 / 2023 / जिला अजमेर

- प्रा.पत्र 0.41/27/2023
1. शान्ति कंवर भाटी पत्नि गणेशसिंह भाटी, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
 2. गणेशसिंह पुत्र मदन सिंह भाटी, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र रामदयाल, जाति सादू, निवासी भाटोलाव, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
2. निशा पत्नि सुनील महाजन, निवासी सावर, तहसील सावर, जिला अजमेर।
3. नौरत पुत्र गोपाल, जाति साधु, निवासी भाटोलाव, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
4. पुष्पा पत्नि निर्मल महाजन, निवासी सावर, तहसील सावर, जिला अजमेर।
5. बीरमदेव पुत्र कैलाश
6. मुकेश पुत्र बीरमदेव
7. लाडा पत्नि नौरत
8. विमला पुत्री कैलाश
9. समस्त जाति सादू निवासी भाटोलाव तहसील सावर जिला अजमेर।
10. सीमा भंडारी पत्नि अमित जैन, जाति महाजन निवासी बिजयनगर जिला अजमेर।
11. सीमा देवी पत्नि अमिल कुमार जाति महाजन अग्रवाल निवासी बिजयनगर जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड, जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जाब्ता दीवानी।

मान्यवर,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है:-

1- यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र. में पारित आदेश दिनांक 4.1.2023 जो कि अन्तरिम आदेश दिनांक 23.6.2022 की रूह में पारित किया गया था के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 17.1.2023 को विधिसम्मत नहीं मानते हुए तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण तक